न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला - प्रतापगढ़ (राज)

प्रकरण संख्या :- 3/03

श्री भंवरलाल पिता धनराज ब्राह्मण आयु 80 वर्ष पेशा काश्त निवासी खेरमालिया तह0 छोटीसादड़ी

-- वादी

बनाम

1. श्री [illegible] पिता पृथ्वीराज पाटीदार वयस्क निवासी राबड़िया तहसील नीमच (म0प्र0)
2. श्री [illegible] पिता बिहारीलाल ब्राह्मण वयस्क निवासी खेरमालिया तह0 छोटीसादड़ी
3. श्री [illegible] पिता बिहारीलाल ब्राह्मण वयस्क निवासी खेरमालिया तह0 छोटीसादड़ी
4. श्री प्रेमसिंह पिता बिहारीलाल ब्राह्मण वयस्क निवासी खेरमालिया तह0 छोटीसादड़ी
5. श्रीमती तारा पुत्री बिहारीलाल पत्नि कमलसिंह ब्राह्मण वयस्क निवासी नयागॉव नीमच (म0प्र0)
6. श्रीमती [illegible] पुत्री बिहारीलाल पत्नि मांगीलाल ब्राह्मण वयस्क निवासी बरेखन तह0 छोटीसादड़ी

-- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 - 188 रा.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक - 27/6/17

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी भंवरलाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88-188 रा.टी. एक्ट दिनांक 21/07/1979 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि मोजा खेरमालिया तह0 छोटीसादड़ी में वादी की पैतृक सम्पत्ति साबिक आराजी नं. 562 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा साबिक आराजी नं. 725 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा एवं साबिक आराजी नं. 727 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा स्थित है उक्त आराजियात् में से साबिक आराजी नं. सम्पूर्ण श्रीमती धापूबाई के पति भेरूलाल के नाम से खातेदारी में दर्ज थी तथा साबिक आराजी नं. 725 एवं 727/1 में 1/2 हिस्सा श्री अम्बालाल के खातेदारी में दर्ज है। तथा शेष 1/2 हिस्सा श्री भेरूलाल एवं वादी के पिता धनराज का शामलाती था। अर्थात् साबिक आराजी नं. 725 एवं 727/1 में भेरूलाल का 1/4 तथा धनराज का 1/4 हिस्सा है। भेरूलाल एवं वादी के पिता धनराज आपस में भाई है। भेरूलाल की संवत् 2002 में मृत्यु हो गयी। भेरूलाल ला-औलाद फौत हुआ जिससे पुराने हिन्दू कानून अनुसार सरवाइवर शिप से साबिक आराजी नं. 562 के सम्पूर्ण भाग पर तथा साबिक आराजी नं. 725 एवं 727/1 का 1/2 भाग सरवाइवर शिप से वादी के पिता मालिक स्वामी बने। वादी के पिता की

का वह तथा शामिल आराजी नं. 725 एवं आराजी नं. 727/1 के 1/2 भाग पर बतौर मालिक काबिज होकर कब्जा करता चला आ रहा है। वादी का यह भी कथन रहा कि वादग्रस्त कुलिया आराजियात् पर वादी का वाद दायरी तक लगातार निरन्तर स्वयं प्रतिवादीगणों की जानकारी में अविच्छिन्न कब्जा रहा है। वादी ही काश्त करता रहा है जिससे 12 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने से वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। मृतक भेरूलाल की पत्नि श्रीमती धापूबाई एवं मोहनलाल द्वारा वादी के कब्जे काश्त में रूकावट उत्पन्न की जा रही है। जिससे वादी ने यह वाद प्रतिवादी श्रीमती धापूबाई बेवा भेरूलाल एवं श्री मोहनलाल पिता पृथ्वीराज के विरूद्ध प्रस्तुत किया।

प्रतिवादीगण धापूबाई एवं मोहनलाल की ओर से दिनांक 31/10/1979 को प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण ने दावे के तथ्यों को इनकार करते हुऐ भेरूलाल के ला-औलाद फौत हो जाने से भेरूलाल की पत्नि धापूबाई का हक हिस्सा होना जाहिर किया। तथा धापूबाई द्वारा वादग्रस्त आराजियात् को बिहारीलाल को बक्षीस कर देना एवं बिहारीलाल द्वारा उक्त आराजी प्रतिवादी मोहनलाल को विक्रय कर देना जाहिर किया।

पक्षकारों के अभिकथनों के आधार पर दिनांक 10/06/1983 को तनकीयात बनाई गई। मूलतः वादी भंवरलाल ने यह वाद प्रतिवादीगण श्रीमती धापूबाई बेवा भेरूलाल ब्राह्मण निवासी [illegible] एवं मोहनलाल पिता पृथ्वीराज निवासी राबड़िया के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद-पत्र में वादग्रस्त आराजियात् बिहारीलाल को बक्षीस कर देना तथा बिहारीलाल द्वारा मोहनलाल को विक्रय कर देना जाहिर कर देने से वादी द्वारा दिनांक 23/08/1984 को एक प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का बिहारीलाल को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया। वादी का यह आवेदन दिनांक 09/03/1999 को स्वीकार किया जाकर बिहारीलाल को बतौर प्रतिवादी क्रमांक 3 बनाया गया। बिहारीलाल ने दिनांक 30/05/2000 को अपना प्रतिवाद-पत्र मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। वादी द्वारा दिनांक 15/07/2000 को काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 22/08/2000 को अतिरिक्त तनकीयात कायम की गई।

इस प्रकरण की प्रतिवादी क्रमांक 1 धापूबाई के पति भेरूलाल की संवत् 2002 में मृत्यु हो गई थी। भेरूलाल धापूबाई ला-औलाद होकर धापूबाई की भी मृत्यु होकर दिनांक 13/04/2010 को धापूबाई का नाम अभिलेख से हटाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 1 मोहनलाल स्वयं वादी के

[illegible] के बाद प्रतिवादी की शहादत बन्द की गई और बहस की स्टेज पर बिहारीलाल की मृत्यु हो गई जिससे बिहारीलाल के कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये गये। बिहारीलाल के कायम मुकाम में [illegible] पार्वतीबाई का भी देहान्त हो गया। पार्वतीबाई के उत्तराधिकारी पहले से ही रिकार्ड पर आ चुके है जिससे पार्वतीबाई का नाम भी अभिलेख से विलोपित किया गया। बहस सुनी गयी

इस प्रकरण में वादी की ओर से पी.डब्ल्यू-1 वादी भंवरलाल के बयान हुऐ है। साक्ष्य में पी.डब्ल्यू-2 रामचन्द्र पी.डब्ल्यू-3 मांगीलाल पी.डब्ल्यू-4 मोहनलाल (प्रतिवादी क्रमांक 2) पी.डब्ल्यू-5 [illegible] पी.डब्ल्यू-6 फतेहलाल पी.डब्ल्यू-7 रतनलाल के बयान हुऐ। साक्ष्य में वादी ने क्षेत्रफल [illegible] प्रदर्श 1 जमाबन्दी प्रदर्श 2 रहन की रसीद प्रदर्श 3 बरसकटनी भरपाई प्रदर्श 4 थापू की [illegible] प्रदर्श 5 40 रुपया भरपाई की रसीद प्रदर्श 6 तथा प्रदर्श 7 से 11 लगान की रसीदें प्रदर्श 12 से 19 प्रदर्श कराई गई। पर्चा लगान प्रदर्श 20 नामान्तरण प्रदर्श 21-22 जमाबन्दी प्रदर्श 23-24 एवं खसरा प्रदर्श 25 प्रदर्श कराये गये। सभी गवाहान् ने वादपत्र की ताईद की है। वादी एवं गवाहान् के बयानों से यह बात साबित है कि भेरूलाल के संवत् 2002 में ला-औलाद फौत हो जाने से वादी का पिता धनराज अकेला सरवाईवर होकर आराजियात् का मालिक बना। वादी के पिता धनराज ने संवत् 2013 में आराजी रामचन्द्र से रहन छुडाई। संवत् 2013 से आज तक वादी एवं उसका पिता ही बतौर मालिक काबिज है। धनराज का वादी गोदी पुत्र होकर वादी कुलिया आराजियात् पर स्वयं प्रतिवादी की जानकारी में काबिज होकर खेती करता है। एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी मालिक हो चुका है। प्रतिवादी बिहारीलाल ने अपने बयानों में जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी थापूबाई ने उसे बक्षीस की है। प्रथम तो थापूबाई को बक्षीस करने का अधिकार ही नही था। दूसरा बिहारीलाल ने साक्ष्य में न तो बक्षीस नामा पेश किया और न ही बक्षीस नामा को साबित कराया। इस संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 2 मोहनलाल जो कि वादी की ओर से पी.डब्ल्यू-4 पेश हुआ है, के बयान भी उल्लेखनीय है। स्वयं प्रतिवादी बिहारीलाल ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया कि आराजियात् पर रहन छुड़वाने के समय से संवत् 2013 से आज तक भंवरलाल वादी का ही कब्जा है। प्रतिवादी बिहारीलाल ने यह भी स्वीकार किया कि उसके द्वारा कब्जा लेने बाबत् कोई दावा पेश नही किया गया जिससे प्रतिवादी बिहारीलाल द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्पष्टतः मयाद बाहर है। उपरोक्त विवेचन से तनकी क्रमांक 1 से 6 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है। तनकी क्रमांक 7 से 9 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है। अतिरिक्त तनकी क्रमांक 1 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है तथा अतिरिक्त तनकी क्रमांक 2 वादी के पक्ष मे निर्णित की जाकर यह तय किया जाता है कि प्रतिवादी बिहारीलाल द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम

अतः आदेश दिया जाता है कि मोजा खेरमालिया तह0 छोटीसादड़ी वर्तमान आराजी नं. 693 रकबा 0-63 हे0 वर्तमान आराजी नं. 695 रकबा 0-88 हे0 तथा वर्तमान आराजी नं. 748 रकबा 0-34 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 2-85 हे0 का 1/2 भाग एवं आराजी नं. 512 रकबा 1-53 हे0 सम्पूर्ण भाग कृषि भूमि से प्रतिवादीगणों के नाम विलोपित किये जाकर वादी भंवरलाल पिता जगन्नाथ ब्राह्मण निवासी खेरमालिया के खातेदारी की घोषित की जाती है। राजस्व अभिलेख में इसी अनुसार वादी का नाम दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/06/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

उपखण्ड अधिकारी , छोटीसादडी